भारतीय कृषि उद्योग और महिला

प्राचार्य
डॉ. ओमप्रकाश बन्सीलाल झंवर
राजस्थान आर्य महाविद्यालय वाशीम

भारत कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमारे देश की अबादी मे से ७५% जनता कृषि उद्योग पर अवलंबीत है।

हमारे देश के किसान दिन प दिन अत्याधुनिक तंत्रज्ञान का इस्तमाल कर रहे है। जिसकी वजह से वह कृषि में कम और अन्य व्यवस्था जैसे खाद उपलब्ध कराना, बिज खरेदी, ट्रॅक्टर आदि नये–नये संसाधन इस्तमाल करने में ही अपना समय व्यथित कर रहे है। इस वजह से हमारे ग्रामीण महिला का कृषी उद्योग मे ७५% योगदान दिखाई देता है।

ग्रामीण महिला का दिन सुबह चार बजे से शुरू होता है। सुबह जल्दी रसोई बनाकर उसे कृषि मे जाना होता है। साथ ही घर का सारा इंतजाम करना है तथा खेती मे जाने के बाद सारे काम उसे करने है। वह जैसे ही अपने खेत मे जाती है वैसे उसके काम की शुरू होती है वह शाम अंधेरा गिरने तक चालु रहती है। उसे खेती मे बैल को पानी पिलाने से लेकर उन्हे चारा तथा गाय, भैसों की सफाई पाणी तक का काम करना पडता है। साथ ही साथ पुरूषों का काम जैसे दवाई छिडकना, खेती में पाणी देना यहॉतक की हल जोतना, गाडी भरना, खेती मे दाड डालना, खेती की मशागत करना सभी काम करने पडते है। यहॉ तक की दूध दोहन का काम भी करना पडता है। मै तो ऐसा कहता हूँ कि कृषि उद्योग की आत्मा महिला है तो १००% मे से ७५% कृषि उद्योग देखती है और उत्पादन करती है। जादा तर ग्रामीण किसान गांव के चौपाल पर या बस अड्डे पर अपना समय बातो मे, ताश खेलने मे, राजनीति की बाते करने मे बिताते हुए दिखाई देते है। वहॉ दिन भर सट्टा खेलना, पार्टीयॉ करना, फूजूल की बाते करना, झगडे करना इसी मे सारा समय बिता देता है। आर्थिक आभाव में किसी सावकार से रूपये लेना इसकी टोपी उसके सर उसकी टोपी इसके सर करना गौरव पूर्ण समझता है, और पुरूष प्रधान संस्कृति की वजह सो बेचारी ग्रामीण महिला उसके अनुपस्थितिमें उसके काम तथा उसके आपने काम मे ही सारा जीवन बिता देती है। फिर भी पती उसे कहता है आर्थिक व्यवहार मे उसने नही बोलना है महिला की अकल उसके घुटने तक होती है।

इसके बावजूद भी भारत का कृषि उद्योग महिला पर आधारित है। कृषि की ओर उनका समर्पन होने की वजह से ही कृषि उद्योग टिका है। भले हि महिला कृषि उद्योग में ७५% योगदान देती है मगर उसमें से ९०% महिलाओं का आर्थिक व्यवहार से कोई लेना देना नही होता है। जो आपने खेती के लिए खुद को झोंक देती है उसे खर्च करने का अधिकार तक नही होता।

हमे आमची माती, आमची मानसे में कृषि उद्योग मे महिलाओं के योगदान को तथा उनके काम को देखते है जिससे हम कह सकते है कि कृषि उद्योग में महिलाओं का योगदान ७५% है। इतना जादा योगदान होने के बावजूद भी महिला केवल श्रम को प्रतिष्ठा देती है। कोई अधिकार की मॉग नही करती बल्कि कृषि मे आपना जीवन बिता देती है। और खुद अपने पती पर आश्रित रहती है। कृषी उद्योग की महिलाओं को इतना काम होता है कि वह आपने सेहत का ख्याल नही रखती कभी अस्पताल जाने के लिए आग्रह नही करती, वह बिमारी अपने बदन पर निकालने की वजह से आपने प्राण गमाने पडते है या बहोत बडे बिमारी का शिकार होना पडता है। ग्रामीण जगह पर अस्पताल की उपलब्धता नही होती शहर मे गाईनिक डॉक्टरों की उपलब्धता होते हुए भी जानकारी ना होने से या आर्थिक अभाव से वह स्पेशल डॉक्टरों के पास नही जाती जिससे

केवल गोलियॉ दिई जाती है और बे वजह की दवाईयॉ सेवन से सेहत पर विपरीत परिनाम होता है।

कृषि उद्योग के किसान अनपढ होने की वजह से नियोजन नाहोने की वजह से हर दम लोगों के ऋण मे रहते है। जिससे अच्छे बुरे का परिचय ना होने से वह गलत खर्च कर बैठते है। झुठी प्रतिष्ठा मे अपने श्रम से कमाए हुए रूपये खर्च करते है और समय का अपव्यय करते है।

कृषि उद्योग मे महिला की अवस्था केवल एक काम करती कटपुतली की तरह दिखाई देती है। उसके सामने काम के सिवा कोई भी पर्याय नही होता। लगे दिन निसर्ग की अवकृपा होने से कृषि उद्योग दिन प दिन घाटे मे चल रहा है। इस वजह से चाहकर भी महिला आपने जीवन मे सुख सुविधा का फायदा नही ले सकती। वह छोटी होती है तो मॉ की मर्जी पर चलती है, बडी होती है तो पिता तथा भाई की मर्जी पर चलती है, शादि के बाद पति की मर्जी पर चलती है। उसे अपनी मर्जी से चलना नसीब ही नही होता।

भले ही हमारे भारत देश मे महिला को ३३% आरक्षण है उसे राजनीति मे स्थान मिलता है मगर ग्रामीण मे उसे केवल नाम के लिए सरपंच बनाया जाता है उसके सारे अधिकार पती को ही होते है और वही उस पद को चलाता है। उसके मर्जी के खिलाफ स्त्री कुछ भी निर्णय नही ले सकती इसका मतलब उसका स्थान गौण ही समझाा जाता है।

कुछ ग्रामीण महिलाओं के पति व्यस्नाधिन होते है वह सारी कृषि संभालती है फिर भी उसका पति अपनी पत्नी के साथ मार पीट करता है। हम देखते है कि महिलाओं के साथ कोई आदर का वर्तन वह नही करता। छोटे – छोटे बतो को लेकर उसको पिटा जाता है और ग्रामीण महिला यह सब सहन करती है। क्यों कि उसे आपने बच्चो को बडा करना है, बच्चों की शादीयॉ करनी है घर को टिकाए हुए रखना है इस वजह से वह सारे अन्याय सहती है और आपने घर को टिकाए रखती है। मानो कुटुम्ब की जिम्मेदारी उसे ही सम्भालनी है। भले ही महिलाओं को कानून के द्वारा संरक्षण दिया गया है मगर ग्रामीण महिलाओं की उसकी जानकारी नही होती। उसे कहा जाता है की तेरी औकात ही चूल और मूल है। वह भी इस को पूर्ण रूप से निभानी है। उसे पिता कहते है कि तू ससुराल खडे होकर गई है तो जब आडी होगी मतलब मरेगी तभी तू उस घर को छोडना है। मानो इसमे ही महिला के जीवन की सार्थकता है ऐसी शिक्षा उसे दिई जाने से वह अपने ससुराल के सभी छल को सहन करती है। भले ही उसको यह सब असहनीय होता है। उसके जीवन मे कोई मौज नही कोई नया पन नही बस उसे अपना जीवन इसी परिस्थिती मे ही गुजारना पडता है। जो मर मर कर जिया जा सके।

सारांश :

भले ही भारतीय कृषि उद्योग महिला पर टिका हुआ है मगर उसे जो संरक्षण अधिकार चाहिए वह अधिकार आज तक मिले नही है। उसके उसका संपत्ती मे उसका कोई नाम नही होता है, केवल पिता की जगह पर पती का नाम तो लग जाता है मगर संपत्ती मे उसका कोई नाम नही होता। इससे उसके जीवन मे स्थिरता नही होती और अस्थिर और परावलंबी जीवन होता है।

मुझे ऐसा लगता है कि पति के हर संपत्ती मे पत्नी का नाम लगना चाहिए, तथा साथ ही साथ कृषि की विविध योजनाएँ महिलाओं के लिए विशिष्ट होनी चाहिए जिससे महिला आपना जीवन स्वाभिमान से सकेगी और वह परावलंबिता से बची रहेगी तथा उसके जीवन मे भी खुशी आनंद तथा स्थैर्य आएगा।

भारत की कुटुंम्ब व्यवस्था टिकाए रखने का काम हमोर ग्रामीण महिलाओं ने किया हुआ है। जिसे समर्पीत भारतीय नारी पतिवर्ता नारी कहॉ जाता है। जो सही रूप से परिवार की पालनहार तथा कल्पवृक्ष होती है। जिससे भारत की कुटुम्ब व्यवस्था तथा संस्कारको सर्वपरी माना जाता है।

संदर्भ

1. https://hi.wikipedia.org/wiki/
भारतीय कृषि का इतिहास